

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1088 / 2022

दिनांक 31.03.2022

श्री जगदीश जाणी (RJ0359), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बालोतरा को दिनांक 11.04.2022 से 13.04.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 09.04.2022 से 10.04.2022 एवं 14.04.2022 से 15.04.2022 व 17.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.04.2022 के ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जाणी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बालोतरा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

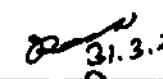
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 31-03-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/65/2000/2473

दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बालोतरा को उनके पत्रांक 116 दिनांक 28.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री जगदीश जाणी (RJ0359), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बालोतरा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।


31.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार